विवरणिका

Prospectus

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा-राजिम

विद्या अमृतम् अश्नुते

NAAC ACCREDITED "B"

चित्रोत्पला शिक्षण समिति द्वारा संचालित

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय

नवापारा नगर, जिला - रायपुर (छ.ग.) 493881

फोन : 07701-233794, फैक्स : 07701- 234094

website : www.spca-college.com, E-mail : spcacollege@gmail.com

प्रेरणा स्त्रोत

स्व. सेठ फूलचंद जी अग्रवाल

स्व. श्रीमती सत्यभामा अग्रवाल

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Seth Phoolchand Agrawal Smriti Mahavidyalaya
Nawapara-Rajim, Raipur, affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University,
Chhattisgarh as
Accredited
with CGPA of 2.20 on seven point scale
at B grade
valid up to October 29, 2022

Date : October 30, 2017

Director

BC(SC)/28/A&A/176.1

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष: 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 5587 /अका./सम्ब.वृद्धि/2018 रायपुर, दिनांक : 09 /01/2018

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 25.11.2017 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 27.12.2017 में अनुमोदन प्रदान किया गया है अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2017–18 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा–राजिम जिला– रायपुर (छ.ग.) spcacollege@gmail.com, gawri.shobha@rediffmail.com Mobile No.- 9479136402 Phone No.- 07701 234094	**Permanent Affiliation** B.A. - F.C., Hindi, History, Economics, Political Sc., Sociology, Geography, Home Science. B.Sc. - F.C., Physics, Chemistry, Math's, Botany, Zoology. B.Com., B.Com. - Comp. Appli. M.A.-Hindi, Geography, Political Science. **Non- Permanent Affiliation** B.Ed. (100 Seat), B.Sc.- Microbiology-25, Biotechnology-25. B.C.A. (40) B.A. - A.I. History (15), Eng. Lit. (15), B.Sc.-I.T. (20) DCA, M.A. - Sociology PGDCA, M.Com., M.Sc.(Prev.) Computer Sc.(20). M.Sc.- Biotech.-(10) M.Sc. Prev. Chemistry-15

निर्देश:–

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय एवं शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन किया जावे।
2. **परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित किया जावे एवं पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर सत्र 2017–18 के लिये शिक्षको की सूची विश्वविद्यालय में अतिशीघ्र जमा करावें।**
3. महाविद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है।
4. छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार होनी चाहिये।
5. कक्षा M.Sc.(Prev.) Computer Sc-20, Chemistry-15 की संबद्धता की जानकारी अतिशीघ्र देवें।

आदेशानुसार

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 5588 /अका./सम्ब.वृद्धि/2018 रायपुर, दिनांक : 09/01/2018

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक–सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा)/उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग/प्रभारी अधिकारी प्रेस
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय

नयापारा-राजिम (छत्तीसगढ़)

विवरणिका

1. महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय :-

राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (नेक) से "B" ग्रेड प्राप्त

कमल परिक्षेत्र पद्मापुरी छत्तीसगढ़ के प्रयाग कहे जाने वाली राजिम, त्रिवेणी संगम के समीप नवापारा में अवस्थित **चित्रोत्पला शिक्षण समिति** द्वारा संचालित **सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय** का इतिहास वर्ष 1994 से प्रारंभ होता है । कोलकाता निवासी **श्री सांवर अग्रवाल** एवं **श्रीमती कुसुम अग्रवाल** की नि:स्वार्थ दानशीलता तथा नवापारा नगर के प्रतिष्ठित युवा व्यवसायी **श्री मनमोहन जी अग्रवाल** के अतुलनीय दान और नवापारा-राजिम की दानशील जनता के सक्रिय सहयोग से ही इस संस्था का उद्भव हो सका । अपने स्थापना सत्र(1994-95) में यह महाविद्यालय कला एवं वाणिज्य संकाय के साथ प्रारंभ हुआ था। द्वितीय सत्र (1995-96) में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोग शाला के साथ विज्ञान संकाय भी **श्री कुलेश्वर प्रसाद जी दूबे** एवं **श्री शिवदास जी गोयल** के सौजन्य से प्रारंभ हो चुका है । वर्तमान में महाविद्यालय का अपना निजी भवन एवं परिसर, रायपुर-राजिम मुख्य मार्ग पर स्थित है । महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 1. कला संकाय (भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य, इतिहास) 2. विज्ञान संकाय (गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायो टेक्नॉलाजी, कम्प्यूटर सांईस, आई.टी.) 3. कम्प्यूटर संकाय (बी.सी.ए.) 4. वाणिज्य संकाय - बी.कॉम (सभी अनिवार्य विषय) एवं शिक्षा संकाय - बी. एड. तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय (भूगोल, हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान), वाणिज्य संकाय (एम.कॉम), कम्प्यूटर संकाय (एम.एस.सी. कम्प्यूटर), विज्ञान संकाय (एम.एस.सी. बायोटेक्नोलॉजी)(एम.एस.सी.) रसायन एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम - पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. संचालित है।

उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से स्थायी सम्बद्ध इस महाविद्यालय का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व को समग्र रूपेण विकसित करना है ताकि वे आगे चलकर दृढ़तापूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सफल हो सकें ।

2. संरचना :-

विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करता यह महाविद्यालय जाति, वर्ग एवं धर्म से पूरे राष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग एवं मैत्री का संगम स्थल है । यह महाविद्यालय ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की भावना पर आधारित है । हमारे अध्यापक विषय विशेषज्ञता के साथ ही विभिन्न भाषा, दृष्टिकोण एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

3. महाविद्यालय का आदर्श वाक्य :-

''विद्यया अमृतम् अश्नुते''

4. उपलब्ध अध्ययन व्यवस्था :-

महाविद्यालय में सभी संकायों में यू.जी.सी. मापदण्ड के अनुसार अनुभवी प्राध्यापक नियुक्त है ।

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अध्ययन हेतु निम्न सुविधाएँ उपलब्ध हैं :-

1. स्नातक स्तर –

(अ) कला संकाय – बी.ए. भाग– एक, दो एवं तीन

मुख्य अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन

मुख्य विषय – निम्न में से कोई तीन

1. अर्थशास्त्र 2. राजनीति विज्ञान 3. हिन्दी साहित्य 4. भूगोल

5. समाज शास्त्र 6. इतिहास

(ब) वाणिज्य संकाय – अ) बी.कॉम भाग – एक, दो एवं तीन

अनिवार्य विषय : हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन

मुख्य अनिवार्य विषय :

1. अर्थशास्त्र समूह 2. लेखांकन समूह 3. प्रबंध समूह

(स) विज्ञान संकाय – बी.एस.सी. भाग – एक दो एवं तीन

अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन

मुख्य अनिवार्य विषय –

1. गणित समूह – अ) रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित

ब) भौतिक शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित

स) भौतिक शास्त्र, आई.टी., गणित

2. बायो समूह – अ) वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र

3. बायोटेक्नोलॉजी – अ) वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र

बायोटेक्नोलॉजी समूह (जैव प्रौद्योगिकी)

ब) प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र,

बायोटेक्नोलॉजी समूह (जैव प्रौद्योगिकी)

(द) कम्प्यूटर संकाय – बी.सी.ए. भाग – एक, दो एवं तीन

– डी.सी.ए. – बारहवीं उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं हेतु

– पी.जी.डी.सी.ए. (स्नातक उत्तीर्ण)

(इ) शिक्षा संकाय – बी.एड. –2 वर्षीय व्यवसायिक पाठ्यक्रम

2. स्नातकोत्तर स्तर –

(अ) कला संकाय – भूगोल, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र

(ब) वाणिज्य संकाय – एम.कॉम.

(स) कम्प्यूटर संकाय – एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान

(द) विज्ञान संकाय – एम.एस–सी. बायोटेक्नॉलाजी , एम.एस.सी. रसायन शास्त्र एवं सत्र 2018–19 से एम.एस–सी., गणित, भैतिक शास्त्र या वनस्पति शास्त्र प्रारंभ होने की संभावना है।

5.a प्रवेश हेतु अर्हताएँ :–

(अ) बी.ए., बी.कॉम., बी.एस–सी. प्रथम वर्ष –

1. प्रवेशार्थी मा.शि.मं. छ.ग. की 12 वीं परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
2. प्रवेशार्थी की आयु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार हो ।
3. उपर्युक्त परीक्षा में प्रवेशार्थी के प्राप्तांक कम से कम 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है परन्तु प्रवेश प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर निर्धारित संख्या तक दिया जायेगा।

(ब) बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.-सी. - भाग दो एवं तीन हेतु -

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
2. इस महाविद्यालय के वे नियमित छात्र-छात्राएँ जो एक विषय में पूरक की पात्रता रखते हों, उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा। किन्तु उन्हें महाविद्यालय शैक्षणिक शुल्क प्रवेश के समय जमा करना होगा । परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्थायी माना जायेगा ।
3. जिस छात्र के संबंध में महाविद्यालय की प्राध्यापक परिषद् या अनुशासन समिति ने सर्वानुमति से प्रवेश न देने का निर्णय लिया हो या जिसके विरुद्ध गंभीर आपराधिक और आचरण संबंधी प्रमाण या रिपोर्ट हो, तो उन्हें प्रवेश देने से महाविद्यालय के प्राचार्य वंचित कर सकते हैं ।
4. इसी प्रकार अध्ययन, अध्यापन में व्यवधान उत्पन्न करने वाले, परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले, बल प्रयोग करने वाले एवं अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
5. स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित और उत्तीर्ण आवेदकों को स्थान उपलब्ध होने पर और आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियमित छात्र के रूप में प्रवेश दिया जायेगा ।

(स) एम.ए. भूगोल, हिन्दी, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं एम.काम. -

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
2. प्रवेशार्थी की आयु 25 वर्ष से अधिक न हो ।
3. उपर्युक्त परीक्षा में प्रवेशार्थी के प्राप्तांक 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है परंतु प्रवेश प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर निर्धारित संख्या तक दिया जायेगा ।
4. अध्ययन, अध्यापन में व्यवधान उत्पन्न करने वाले प्रवेशार्थी को उस विभाग के प्राध्यापकों की सलाह पर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित दण्ड मान्य होगा ।

(द) बी.सी.ए. प्रवेश अर्हताएँ

बारहवीं उत्तीर्ण (गणित संकाय को प्राथमिकता)

(ई) एम.एस-सी (कम्प्यूटर) प्रवेश अर्हताएँ -

बी.एस-सी. गणित उत्तीर्ण, सीएस, आई.टी., बीसीए

(उ) एम.एस-सी (बायोटेक्नोलॉजी) प्रवेश अर्हताएँ -

बी.एस-सी. बायो, माईक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी उत्तीर्ण

(ऊ) एम.एस-सी (रसायन) प्रवेश अर्हताएं

बी.एस-सी. में एक विषय रसायन होना अनिवार्य है

बी.एड. प्रवेश अर्हताएँ -

प्री. बी.एड. एवं एस.सी.ई. आर.टी. काऊंसलिंग के माध्यम से।

5.b **प्रवेश :-**

1. प्रवेशार्थी विवरण पत्र में संलग्न निर्धारित प्रवेश आवेदन पर ही प्रवेश हेतु आवेदन करें ।
2. प्रवेश आवेदन पत्र की समस्त पूर्तियाँ स्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरों में प्रवेशार्थी द्वारा स्वयं भरी जावें ।
3. प्रवेश आवेदन पत्र प्रवेशार्थी के माता / पिता / अभिभावक द्वारा यथा विधि प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित हों ।
4. प्रवेश आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त कर जमा करें ।
5. छात्र-छात्रा का बैंक खाता नंबर व मोबाईल नंबर दिया जाय।

6. महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र **रैगिंग** में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिरोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है ।
3. **यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।**
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र में तथ्यों को छुपाएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। दिये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे ।
5. स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेते समय विद्यार्थी महाविद्यालय से जा रहा होगा तब अमानती राशि उसे वापस कर दी जायेगी। इस निधि वापसी के समय विद्यार्थी को पहले रसीद प्रस्तुत करनी होगी । छात्रावास की अमानती निधि 3 वर्ष तक नहीं ली जायेगी, तो वह उसके पश्चात् राजसात समझी जायेगी ।
6. उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशो के अधीन इस विवरणिका में किसी भी नियम, उपनियम अथवा किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है और वे इस दिशा में विज्ञप्ति तथा प्रसारित सभी आदेश और निर्देश विद्यार्थियों पर सामान्य रूप से अनिवार्यत: लागू होंगे।
7. दीपावली तथा ग्रीष्मकाल के समय विद्यार्थियों को रेल्वे कन्शेसन भी दिये जाने की व्यवस्था है, जो रेल्वे के नियमानुसार दिये जाते हैं ।
8. प्राचार्य को यह अधिकार है कि वह बिना कारण बताए किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश के लिए मना कर दें और इस विषय में कोई भी कानूनी कार्यवाही करने का हक किसी व्यक्ति को नहीं होगा ।
9. सत्र के दौरान यदि अध्ययन छोड़ा जाता है तो सुरक्षित के अतिरिक्त कोई भी राशि वापस नहीं होगी।

7. रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध :-

महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग जैसे घृणित एवं अमानवीय प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध है । रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी । इसके अंतर्गत अपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी व जुर्माना (या दोनों) महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक लगाई जायेगी ।

8. शिकायत पेटी की व्यवस्था :

महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के समक्ष शिकायत पेटी रखी गयी है । इसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित, वास्तविक शिकायत कोई भी विद्यार्थी अपने नाम से अथवा बिना नाम के डाल सकता है ।

1. महाविद्यालय अथवा छात्रावास में रैगिंग गतिविधि, अशांति एवं अनुशासनहीनता, पीने के पानी एवं सप्लाई विषयक।
2. कक्षाओं में फर्नीचर, विद्युत उपकरण, ब्लैकबोर्ड आदि विषयक ।
3. संरक्षित निधि, छात्रवृत्ति, अन्य प्रमाण पत्र विषयक ।
4. किसी कक्षा / वर्ग में अध्यापन विषयक ऐसा सुझाव भी इस पेटी में डाले जा सकते हैं जो महाविद्यालय की कार्य प्रणाली में सकारात्मक सुधार लाये ।

9. विशेष सुविधा :-

महाविद्यालय के समस्त संकाय के छात्र / छात्राओं को कम्प्यूटर की प्रारंभिक जानकारी के साथ-साथ Networking के माध्यम से Internet एवं L.C.D. Projector के द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है।

महाविद्यालय नियमित अध्यापन के दौरान पिछड़े हुए छात्र / छात्राओं के लिए पृथक से अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है ।

सामान्य एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं को विभिन्न प्रतिस्पर्धी परिक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग दी जायेगी ।

10. महिला छात्रावास :-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की सहायता से महाविद्यालय परिसर में छात्राओं के लिए सर्वसुविधायुक्त सुरक्षित महिला छात्रावास उपलब्ध हैं ।

11. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)

भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत महाविद्यालय में 'राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई' की स्थापना 13 सितम्बर 1995 को हुई एन.एस.एस.के प्रथम कार्यक्रम अधिकारी डॉ. लखन चौधरी तदुपरान्त डॉ. देशबंधु तिवारी एवं 2006से श्री आर. के. रजक सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के द्वारा पूरी योग्यता निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है ।महाविद्यालय में 100 छात्र / छात्राओं की संख्या आबंटित है ।विगत तीन वर्षों से चित्रोत्पला शिक्षण समिति एवं महाविद्यलय परिवार के मार्गदर्शन में अग्रणी रहते हुए रायपुर जिला ईकाई के अंतर्गत अपनी एक अलग पहचान बनाई है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य-समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना

राष्ट्रीय सेवा योजना का विशिष्ट उद्देश्य :- 1. समाज के साथ मिलकर कार्य करना ।2. स्वयं को सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त करना ।3. स्वयं तथा समुदाय के ज्ञान में अभिवृद्धि करना ।4. समस्याओं को हल करने में स्वयं की प्रतिभा का प्रयोग करना ।5. शिक्षित और अशिक्षित के बीच की दूरी को मिटाना ।6. समुदाय के कमजोर वर्ग की सेवा के लिए स्वयं को प्रेरित करना ।

गतिविधियाँ :- 1. शिक्षा और मनोरंजन ।2. आपातकाल में किए जाने वाले कार्य - तूफान, बाढ़, भूकम्प, सूखा, महामारी एवं अन्य प्राकृतिक विपदाएँ ।3. पर्यावरण संवर्धन ।4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण । 5. उत्पादनोमुखी कार्यक्रम 6. समाज सेवा कार्य ।7. प्रदूषण नियंत्रण विषयक अभियान ।8. तात्कालिन आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर अन्य कार्यक्रम ।

विशेष :-

1. गोद ग्राम, झुग्गी बस्ती, महाविद्यालय में सप्ताहांत या कक्षाओं के बाद वाले समय में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है । जिसमें एक वर्ष में विद्यार्थी की सहभागिता 120 घण्टे की होगी ।
2. दो तथा तीन वर्ष में नियमित गतिविधि व विशेष शिविर में सहभागिता रखने वाले तथा 240 घण्टे पूर्ण किए विद्यार्थियों को ही बी तथा सी प्रमाण पत्र के लिए पात्र होंगे ।
3. राज्य शासन के द्वारा ए, बी, सी प्रमाण पत्र धारी के लिए क्रमश: 2 प्रतिशत 3 प्रतिशत 5 प्रतिशत शासकीय सेवाओं के लिए अतिरिक्त बोनस अंक देने का प्रावधान है ।
4. महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई में प्रत्येक सत्र श्रेष्ठ शिविरार्थी एक छात्र एवं एक छात्रा तथा सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गतिविधियों में एक छात्र एक छात्रा को दस दिवसीय विशेष शिविर के दौरान विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
5. महाविद्यालय में नवीन छात्र / छात्राओं के द्वारा अगस्त माह के अंत तक कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क कर अपना पंजीयन अवश्य करवा लेवें ।

12. एन.सी.सी.

महाविद्यालय में एन.सी.सी. आर्मी विंग (छात्र एवं छात्राएँ) एवं नेवल विंग (छात्रा) की स्थापना हो चुकी है।

12. अ- नेवल एन.सी.सी.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एनसीसी की नेवल इकाई का गठन प्रथम बार छत्तीसगढ़ में राज्य शासन की अनुशंसा पर सन् 2010 में की गई । इस तरह 1 सी.जी. नेवल यूनिट एनसीसी रायपुर की स्थापना प्रथम बार छत्तीसगढ़ में हुई । छत्तीसगढ़ का एकमात्र नेवल सीनियर विंग खुलने का गौरव महाविद्यालय को प्राप्त है । 24 जुलाई 2010 को 1-सीजी नेवल एनसीसी सीनियर विंग की स्थापना हुई । महाविद्यालय को 50 कैडेटों (छात्राओं) की संख्या आबंटित है । विगत दो वर्षों से नेवल एनसीसी सब लैफ्टिनेंट डॉ पूनम सिंह की देख-रेख में कार्यान्वित है । डॉ. पूनम सिंह ने एनसीसी अधिकारी के रूप में लगभग 3 माह तक ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी (ओटीए) को सब लैफ्टिनेंट का रैंक प्राप्त किया ।

नेवल एनसीसी का उद्देश्य : -

1. कैडेटों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ।
2. कैडेटों में लीडरशिप की योग्यता को निखारना ।
3. कैडेटों को एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाना ।
4. आदर्श नागरिक के निर्माण में सहयोग ।
5. समाज के कल्याण के लिए कैडेटों को प्रेरित करना ।
6. मिल-जुलकर रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यो के लिए प्रेरित करना ।
7. देश की रक्षा के लिए उन्मुख करना ।

उपलब्धियाँ :-

(1) छत्तीसगढ़ के एकमात्र सीनियर विंग की छात्रा कैडेट्स प्रतिवर्ष राजकीय और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कैम्पों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करती आ रही है तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त कर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है।

(2) स्थापना वर्ष 2010 से अब तक लगभग 40 कैडेट्स का चयन राष्ट्रीय स्तर के नौसैनिक कैम्प-कारवार आर.डी.सी. कैम्प-दिल्ली स्पेशल नेशनल इन्ट्रीगेशन कैम्प-पोर्टब्लेयर, स्पेशल एनुअल टेऊनिंग कैम्प-इझीमाला (द.भारत) आदि के लिए हुआ है।

(3) वर्ष 2016-17 में महाविद्यालय की तीन छात्रा कैडेट्स ने नेशनल एन.सी.सी गेम खो-खो दिल्ली में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया।

(4) प्रतिवर्ष छात्रा कैडेट्स सेलिंग कैम्प, पैरासेलिंग, स्लिदरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग, शिपमॉडलिंग, फायरिंग जैसे रोमांचक कैम्पों में भाग लेकर अपनी योग्यता प्रदर्षित करती है।

(5) प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैम्पों में भाग लेने वाली छात्रा कैडेट्स को राज्य शासन की ओर से 5-5 हजार रू. की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

विशेष :-

1. ए.टी.सी. कैम्प और नौ सैनिक कैम्प के अतिरिक्त एडवेन्चर कैम्प यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और विभिन्न आयोजनों के माध्यम से कैडेटों के व्यक्तित्व का निर्माण ।
2. एनसीसी के बी-प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु कैडेटों की नियमित गतिविधि तथा एक एनुअल ट्रेनिंग कैम्प साथ ही 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ।
3. सी. प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु कैडेटों की 75 प्रतिशत उपस्थिति और दो ए.टी.सी.या समकक्ष शिविर अनिवार्य है ।
4. राज्य शासन द्वारा सी प्रमाण-पत्र धारी कैडेटों के लिए शासकीय सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है ।
5. सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) की परीक्षा में सी प्रमाण-पत्र धारी को लगभग 5 प्रतिशत बोनस अंक का प्रावधान है ।
6. महाविद्यालय में नवीन छात्राओं द्वारा जुलाई माह के अंत तक एनसीसी अधिकारी से संपर्क कर अपना पंजीयन अवश्य करा लेवें ।

12. ब - एन.सी.सी. आर्मी

महाविद्यालय में NCC (ARMY) WING की स्थापना सत्र 2011-12 में हुआ। जो महाविद्यालय के लिए अत्यंत गौरव का पल रहा है, महाविद्यालय में NCC (ARMY) WING की सीनियर डिवीजन (S.D.) की युनिट संचालित है महाविद्यालय के NCC (ARMY) WING को सम्बद्धता 27 C.G.Bt. NCC, Raipur द्वारा प्राप्त है। बटालियन द्वारा 53 कैडेट की यूनिट महाविद्यालय को प्राप्त है। जिसमें 33% महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।

विगत 6 वर्षों से NCC (ARMY) Officer Lt. V.S. Rajput के कुशल नेतृत्व में महाविद्यालय की NCC (ARMY) संचालित है, NCC Officer का चयन लैफ्टीनेंट रैंक में Officer Training Academy में 3 माह की कठिन प्रशिक्षण के बाद प्राप्त होता है।

महाविद्यालय के NCC (ARMY) के कैडेट्स मे से प्रतिवर्ष 2-3 कैडेट का चयन भारतीय थल सेना, वायु सेना एवं केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) में चयन हो रहा है।

महाविद्यालय के NCC (ARMY) कैडेट्स को मिलने वाली विशेष अवसर-

1. विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण।
2. फायरिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर।
3. पैरासिलिंग का अवसर।
4. पैराशूटिंग का अवसर।
5. गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ (दिल्ली) जाने का अवसर।
6. यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत कनाडा, सिंगापूर, थाईलैंड आदि देश घूमने का अवसर।
7. वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, ट्रेकिंग कैंप, लीडरशिप कैंप, थल सेना कैंप, राष्ट्रीय एकता शिविर आदि कैंप जाने का अवसर।

13. जिम सुविधा :-

महाविद्यालय के छात्र / छात्राओं के लिए ''स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत'' की तर्ज पर सर्व सुविधायुक्त ''जिम एवं खेल मैदान'' उपलब्ध है ।

14. यूथ रेडक्रॉस सोसायटी

रेडक्रास की कार्य प्रणाली लाभ-हानि की इच्छा से परे व्यक्तिगत प्रोत्साहन पर आधारित है। बिना किसी रंगभेद, राष्ट्रीयगत भेद, जातिगतभेद, पद प्रभाव, दलगत भेद-भाव के जरूरत मंद व्यक्तियों को प्रथम सहायता करना है। महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास ईकाई छत्तीसगढ़ राज्य शाखा रायपुर से संबंध 19 सितम्बर 2014 को महाविद्यालय में प्रारंभ हुआ। इस संगठन में जुड़कर सैकड़ों स्वयं सेवक नि:स्वार्थ स्वप्रेरित सेवा प्रदान कर रहे है। विशेष कर राजिम कल्पकुंभ, मुक्तिधाम स्वच्छता अभियान, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र पर आधारित स्वास्थ सेवा, बाढ़ एवं आपातकालीन सेवा व ग्रामीण स्तर पर समय-समय पर हमारे ईकाइ डॉ. आर.के. रजक यूथ रेडक्रास संगठक के नेतृत्व में विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही है। महाविद्यालय में प्रतिवर्ष रक्तदान-महादान, नेत्रदान जागरूकता, स्वास्थ्य शिविर, कैरियर काउंसिलिंग एवं अन्य शिविर लगा कर स्वयं सेवक अपनी पूरी निष्ठा से अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे है।

15. प्रवेशार्थी हेतु समान्य निर्देश (प्रवेश प्रक्रिया) :-

1. जिन छात्रों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे उनके नामों की सूची मैरिट के आधार पर सूचना-पटल पर चस्पा कर दी जायेगी । प्रवेशार्थी को चाहिये कि वे सूचना-पटल पर शुल्क जमा करने के लिये जो अंतिम तिथि दर्शाई गई है उस अवधि के अंदर शुल्क जमा करा देवें । शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा न करने पर उसका प्रवेश स्वयंमेव निरस्त माना जायेगा ।
2. अस्वीकृत आवेदन पत्रों की कोई सूचना आवेदकों को अलग से नहीं दी जावेगी और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार किया जावेगा ।
3. जिन छात्रों के प्रकरण विश्वविद्यालय परिक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण विश्वविद्यालय को शिकायत प्रेषित है उन्हें तब तक प्रवेश की पात्रता नहीं होगी जब तक वे उस कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर लेते जिसमें ऐसे प्रकरणों की शिकायत की गई हो ।
4. प्राचार्य को यह अधिकार है कि बिना कारण बताए किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश अस्वीकृत कर सकते हैं ।
5. प्रवेश के समय विवाद उत्पन्न होने पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
6. छ.ग. शासन व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान सत्र के लिये उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई और नियम और मार्गदर्शिका जारी की जाती है तो प्रवेश उसी नियमानुसार दिया जावेगा ।

(16) शुल्क विवरण :-

(अ) शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त देय शुल्क :-

विश्वविद्यालयीन शुल्क :-

1. नामांकन शुल्क -
2. शारीरिक क्षेत्र शुल्क -

सुरक्षा निधि शुल्क :- (अतिरिक्त देय होगा)

1. वाचनालय शुल्क -
2. प्रायोगिक शुल्क -

सुरक्षा निधि की राशि प्रवेश शुल्क के साथ ही देय होगी -

- ❖ राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति (एस.टी./ एस.सी./अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु) की सुविधा उपलब्ध है ।
- ❖ शिक्षण शुल्क प्रवेश के समय एक मुश्त जमा करने पर 1 माह की शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी ।

- ❖ फीस (शुल्क) में संशोधन करने का अधिकार प्राचार्य एवं शिक्षण समिति को होगा वह मान्य होगा ।
- ❖ प्रवेश लेने के पश्चात शुल्क वापस नही होगी ।(छ.ग. उच्च शिक्षा प्रवेश मार्गदर्शिका नियमों के अनुसार)
- ❖ टी. सी. पूर्ण महाविद्यालयीन शुल्क जमा करने पर दी जायेगी ।
- ❖ शिक्षण शुल्क प्रत्येक माह की 15 दिनांक तक ही देय होंगे ।यदि 15 तारीख तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो इस स्थिति में 15 तारीख के बाद 3.00 रु. प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदंड लगेगा और चार सप्ताह के बाद नाम कट जायेगा और पुन: प्रवेश के लिए 500 रु. अतिरिक्त देय होगा । सारा शुल्क फरवरी माह तक पूरा पटा दिया जावे।
- ❖ सुरक्षा निधि राशि की वापसी हेतु संबंधित राशि की प्रथम वर्ष की मूल रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करनी पड़ेगी तथा यह राशि संस्था छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर ही निकाली जा सकती है ।यह भी ध्यान रहे कि सुरक्षा निधि टी.सी. के कम से कम एक सप्ताह बाद देय होगी ।

बी.ए., बी.काम एवं बी.एस.-सी :- प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को महाविद्यालयीन शुल्क में विशेष सुविधा :- 30 जुलाई तक प्रवेश प्राप्त करने पर

1. 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त छात्र-छात्राओं को प्रवेश शुल्क देय होगा ।शिक्षण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट रहेगी।वि.वि. शुल्क, प्रायोगिक एवं सुरक्षानिधि शुल्क देय होगा ।
2. 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त छात्र-छात्राओं को 30 प्रतिशत शिक्षण शुल्क में छूट रहेगी ।वि.वि. शुल्क, प्रायोगिक एवं सुरक्षानिधि शुल्क देय होगा ।
3. प्रथम वर्ष में 60 प्रतिशत अंक अर्जित करने पर ही आने वाले वर्ष में छूट दी जायेगी।

17. ग्रंथालय विभाग

वर्तमान समय एवं विकासशील अवस्था में शिक्षा को नई स्फूर्ति के साथ नवजीवन संचार के लिए, प्रजातंत्र की सफलता के लिए, निरक्षर जनता को साक्षर बनाने के लिए और प्रत्येक पुस्तकप्रेमी की मानसिक क्षमता की पूर्ति के लिए पाठ्य सामग्री की नियमित आपूर्ति आवश्यक है एवं इसके लिए एक सुविकसित ग्रंथालय अनिवार्य है ।

महाविद्यालय के पुस्तकालय में कुल 18037 पुस्तकें हैं ।महाविद्यिालय ग्रंथालय में विभिन्न विषय के 25 राष्ट्रीय स्तर के शोध पत्रिकाएँ, 15 प्रतियोगी व ज्ञान परक मासिक पत्रिकाएँ एवं दैनिक समाचार पत्र आते हैं ।महाविद्यालय में इंफ्लिब्नेट के अंतर्गत एन-लिस्ट की सहायता से ई-ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध है ।

ग्रंथालय विषयक नियम:-

1. महाविद्यालय के समस्त **छात्र/छात्राओं को ग्रंथालय में पंजीयन अनिवार्य है ।**
2. प्रत्येक छात्र दो से अधिक पुस्तकें निर्गमित नहीं होगी ।
3. पुस्तकों को 15 दिन के भीतर वापस लाना अनिवार्य है अन्यथा प्रतिदिन 1 रू. के दर से चार्ज लगेगा ।
4. पुस्तक गुम होने की स्थिति में पुस्तक की नई प्रति या वर्तमान मूल्य देय होगा ।
4. पुस्तकों की क्षति होने पर क्षतिपूर्ण राशि ली जायेगी ।
5. **वार्षिक परीक्षा में अध्ययन हेतु आवश्यकतानुसार जितनी पुस्तकें चाही जायेगी नियमानुसार प्रदान की जायेगी।**

18. खेल विभाग

1. विभाग की वार्षिक योजना -

माह जुलाई से प्रत्येक खेल का अभ्यास समय - सुबह 6से 8 बजे शाम 4 से 6

खेलों का नाम - एथलेटिक्स, क्रिकेट, बाल बैडमिंटन, जिम, कबड्डी एवं अन्य खेल विधाएं ।

अंर्तमहाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय टीम की सहभागिता जैसे उपरोक्त में नाम दिया गया है।

वार्षिक खेल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह - 26जनवरी को

2. विभाग से संबंधित नियम एवं सुविधाएँ -

1. अर्न्तमहाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आवश्यक है कि कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य हो।
2. अभ्यास के समय ग्राउंड में उपस्थित प्रतिदिन अनिवार्य है ।
3. क्रिकेट एवं अन्य खेल में अभ्यास वेशभूषा के साथ ।
4. महाविद्यालय में चयन होने वाले खिलाड़ियों को महाविद्यालय की ओर से प्रतियोगिता हेतु वेशभूषा प्रदान किया जायेगा ।जो कि प्रतियोगिता पश्चात् वापस करना होगा ।
5. सभी खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को खेल सामग्री की सुविधाएँ महाविद्यालय की ओर से प्रदान की जावेगी ।
6. महाविद्यालय स्तर पर अर्न्तमहाविद्यालय स्तर, विश्वविद्यालय स्तर (राष्ट्रीय स्तर) खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को महाविद्यालय की ओर से आकर्षक खेल पुरस्कार । राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को महाविद्यालय शासी निकाय की ओर से प्रोत्साहन स्वरूप ट्रेकसूट प्रदान किया जायेगा ।

3. राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाएँ :-

महाविद्यालय में जिम (व्यायाम शाला) युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है । जिसमें छात्र-छात्राएँ अभ्यास कर सकते हैं ।

4. विभाग की ओर से अन्य जानकारियाँ एवं भविष्य की योजनाएँ -

1. महाविद्यालय में उपलब्ध खेल सुविधाओं को अधिक उपयोगी बनाना ।
2. खिलाड़ियों को प्रदान की जाने वाली प्रशिक्षण स्तर को बढ़ाना एवं उच्च स्तरीय खेल सामग्री प्रदान करना ।
3. खेल का सुनियोजित विकास करना। 4. अधिक खेल सुविधाएँ उपलब्ध करना।5. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करना ।
6. विश्वविद्यालयीन टीम का विशेष प्रशिक्षण शिविर का पुन: आयोजन किया जायेगा ।

राजिम कुंभ में प्रदर्शन करते
महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ

गणतंत्र दिवस समारोह पर महाविद्यालय के
नेवल विंग कैडेट एवं अतिथिगण

इसी प्रकार संभाग एवं राज्य स्तर के अलावा महाविद्यालय के छात्रों ने अंतर्विश्वविद्यालय बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर महाविद्यालय एवं अंचल को गौरवान्वित किया है :-

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय नवापारा-राजिम

महाविद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ी
(राज्य एवं अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता)

क्र.	खिलाड़ियो के नाम	कक्षा	सन्	खेल का नाम	स्तर	आयोजित स्थान
1	भारती निषाद	बी.सी ए.–III	2016-17	बाल बैंडमिंटन	अ.भा.अ.वि.	चेन्नई
2	तोषण साहू	बी.सी ए.–III	2016-17	बाल बैंडमिंटन	अ.भा.अ.वि.	चेन्नई
3	अविचल सिन्हा	बी.एस सी II	2016-17	बाल बैंडमिंटन	अ.भा.अ.वि.	चेन्नई
4	ताराचंद निषाद	बी.एस सी I	2016-17	एथलेटिक्स	अ.भा.अ.वि.	कोयंबटूर
5	भूपेन्द्र सिंह राजवंशी	बी.ए.–III	2016-17	टीटी	अ.भा.अ.वि.	उड़ीसा
6	पुष्पेन्द्र निषाद	बी.ए.–I	2016-17	टीटी	अ.भा.अ.वि.	उड़ीसा
7	वरूण कंसारी	बी.एस सी II	2016-17	तीरंदाजी	अ.भा.अ.वि.	आन्ध्रप्रदेश
8	मोंगरा यादव	बी.एस सी I	2016-17	तीरंदाजी	अ.भा.अ.वि.	आन्ध्रप्रदेश
9	डागेश्वर निषाद	एम.काम IV सेमे.	2016-17	तीरंदाजी	अ.भा.अ.वि.	आन्ध्रप्रदेश
10	प्रीतम बघेल	बी.एस सी I	2016-17	तीरंदाजी	अ.भा.अ.वि.	आन्ध्रप्रदेश
11	अभिषेक मरकाम	बी.ए.–I	2016-17	ताईक्वाण्डो	अ.भा.अ.वि.	चण्डीगढ़
12	चन्द्रकान्त साहू	बी.ए.–III	2016-17	एथलेटिक्स	राज्य स्तरीय	महासमुन्द
13	भारती निषाद	बी.सी ए.–II	2015-16	बाल बैंडमिंटन	अ.भा.अ.वि.	एस.आर.एम चेन्नई
14	चन्द्रकान्त साहू	बी.ए.–II	2015-16	बाल बैंडमिंटन	अ.भा.अ.वि.	कर्नाटक
15	मो. तुफेल	बी.एस सी.–III	2014-15	तीरंदाजी	अ.भा.अ.वि.	कुरू क्षेत्र
16	विश्वजीत सोनी	पी जी डी सी ए	2014-15	तीरंदाजी	अ.भा.अ.वि.	हरियाणा कुरू क्षेत्र
17	विश्वजीत सोनी	पी जी डी सी ए	2014-15	नौकायन	अ.भा.अ.वि.	पंजाब पटियाला
18	छन्नू लाल निषाद	पी जी डी सी ए	2014-15	तीरंदाजी	अ.भा.अ.वि.	पंजाब पटियाला
19	अरिहंत डागा	बी.काम–II	2014-15	बैंडमिंटन	अ.भा.अ.वि.	बनारस/कोयंबटूर
20	ज्योति आल्हा	एम–ए भूगोल	2014-15	टीटी	राज्य स्तरीय	डिग्री गर्ल्स कालेज रायपुर

आंतरिक गुणवता आश्वासन प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) बैगलोर की राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप महाविद्यालय में ''आंतरिक गुणवता आश्वासन प्रकोष्ठ'' की स्थापना की गई है जिसका उददेश्य गुणवता में सतत् सुधार और अकादमिक उत्कृष्टता को प्राप्त करना है। दीर्घकालिक गुणवता मानको को प्राप्त करने हेतु प्रकोष्ठ द्वारा सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक पहलुओं में गुणवत्ता प्रबंधन रणनीति को अपनाया जाता है।

प्रथम चक्र में महाविद्यालय को ''बी'' ग्रेड राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) बैगलोर द्वारा प्राप्त हुआ है।

19. उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम :-

विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ठ होने की अनुमति उन विद्यार्थियों को ही मिलेगी जिनकी उपस्थिति महाविद्यालय की कक्षाओं मेंअध्यापित प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत होगी । इससे कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जायेगा, तत्संबंधी सूचना अभिभावकों को भी दी जायेगी ।

20. सत्रारंभ :-

वर्तमान शिक्षा सत्र 01 जुलाई से प्रारंभ होगा एवं इसी तिथि से प्रथम वर्ष की नियमित कक्षाएँ प्रारंभ होगी । द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाएं परीक्षा परिणाम होने के 15 दिन पश्चात् प्रारंभ होगी । महाविद्यालय अध्यापन कार्य का समय कक्षाओं की संख्या, छात्र संख्या के आधार पर प्रवेश पूर्ण होने के उपरांत जारी करेगा ।

21. छात्रवृत्तियाँ :- सत्र् 1994 से अब तक

पिछड़ा वर्ग, अनु.जाति, अनु.जनजाति के विद्यार्थियों को छ.ग. शासन की छात्रवृत्तियाँ इस महाविद्यालय के पात्र विद्यार्थियों को ही उपलब्ध होगी । इस हेतु प्रवेश के तत्काल बाद विद्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र भरकर प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय में जमा करना होगा । छ.ग. शासन द्वारा घोषित अन्य छात्रवृत्ति यथा निर्धन, प्रतिभाशाली अल्पसंख्यक एवं विकलांग छात्रवृत्तियों के लिए भी विद्यार्थी नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे । महाविद्यालय समिति द्वारा योग्य छात्र-छात्राओं को अध्ययन, खेल एवं शैक्षणिकोत्तर गतिविधियों हेतु सहयोग प्रदान की जाती है। छात्रवृत्तियाँ सीधे बैंक खाते में जाती है, अत: प्रवेश लेते समय स्वयं का चालू बैंक खाता एवं मोबाईल नम्बर दें। इसके अभाव में छात्रवृत्ति रूक सकती है।

22. विद्यार्थी संबंधी नियमावली

(1) महाविद्यालय में अपने वाहन/मोटरसायकल कतार में व्यवस्थित ढंग से रखें ।

(2) महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राएँ सौम्य, सुसंस्कृत निर्धारित गणवेश धारण कर प्रवेश करें ।

(3) सभी सूचनाएँ विद्यार्थी सामान्य सूचना-पटल एवं संकाय पटल पर अवश्य देखे ।

(4) सूचना-पटल पर लगी सूचनाओं को न फाड़े । यह विद्यार्थियों के लिए आवश्यक जानकारी होती है ।

(5) विद्यार्थी अपने साथ कीमती सामान न लावें । उनके सामान की जिम्मेदारी स्वयं की होगी । खोने पर महाविद्यालय प्रशासन की किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी ।

(6) कक्षाओं में अनावश्यक लाईट तथा पंखे चालू छोड़कर न जावें ।

(7) महाविद्यालयीन प्रयोगशाला, जिम, पुस्तकालय की सामग्रियों का उपयोग अनुशासित ढंग से करें तथा उचित समय पर चीजें वापस लौटा दें ।

(8) महाविद्यालय के छत (ऊपर भाग) एवं निर्जन क्षेत्रों में अनाधिकृत रुप से प्रवेश न करें ।

(9) मादक द्रव्यों, नशीले पदार्थों आदि का सेवन कर महाविद्यालय में प्रवेश न करें ।

(10) महाविद्यालय परिसर में गुटखा, तम्बाखू खाकर कहीं भी न थूकें । साथ ही महाविद्यालय के प्रसाधन में भी स्वच्छता का ध्यान रखें ।

(11) विश्वविद्यालयीन परीक्षा के पूर्व कक्षा में उपस्थिति विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार 75% होनी चाहिए। उपस्थिति कम रहने की स्थिति में वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है । जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा ।

23.शैक्षणिकोत्तर गतिविधियाँ एवं प्रोत्साहन :-

अध्ययन, अध्यापन के अतिरिक्त विद्यार्थियों के बहुमुखी प्रतिभा के क्रमश: विकास एवं प्रोत्साहन हेतु महाविद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाएँ निम्नानुसार है :-

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना : महाविद्यालय में रा.से.यो. की 100 छात्रों की इकाई विद्यमान है ।

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर : महाविद्यालय में एन.सी.सी. नेवल विंग (छात्रा) एवं स्ववित्तीय आधार पर एन.सी.सी. आर्मी विंग (छात्र/छात्राएँ) की इकाई विद्यमान है।

(3) क्रीड़ा प्रशिक्षण :- महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं हेतु जिम एवं खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है।

(4) आंतरिक मूल्यांकन :- शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महाविद्यालयीन व्यवस्थानुसार तीन चरणों में आंतरिक मूल्यांकन आयोजित किया जायेगा जिसमें कम से कम दो चरणों में प्रत्येक विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है ।

(5) वार्षिक पत्रिका :- आंचलिक विषयों पर छात्र-छात्राओं की प्रतिभा को उजागर करने हेतु महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका प्रयास का प्रकाशन किया जाता है ।

(6) छात्र परिषद् एवं अन्य समितियाँ :- छात्र संघ का गठन प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालयीन अध्यादेशानुसार चुनाव प्रणाली में होगा।

उपर्युक्त अनुसार गठित छात्र संघ परिषद् के पदाधिकारियों व सदस्यों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा यथाशीघ्र शपथ दिलाई जायेगी । छात्र संघ परिषद् को संवैधानिक अस्तित्व प्रदान करने हेतु यह कार्यक्रम महाविद्यालय द्वारा आयोजित होता है ।इसी प्रकार महाविद्यालय में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य परिषद् का गठन किया जाता है ।

अध्यक्ष को शपथ ग्रहण तिथि 15 दिनों के अंदर छात्र परिषद् की बजट सभा नियमानुसार बुलानी होगी ।बजट के अनुसार एवं निर्धारित कार्यक्रमों के परिधि में ही छात्र संघ परिषद् कार्य करेगी ।अन्य समितियों का गठन प्राध्यापक परिषद् की स्वीकृति और निर्धारित की गई गठन विधि के अनुसार किया जायेगा ।छात्रसंघ परिषद् को प्राचार्य कभी भी बिना कारण बताएँ भंग कर सकते हैं ।

(7) कैरियर काउन्सिलिंग विभाग व्यक्तित्व विकास :- महाविद्यालय में कैरियर काउन्सिलिंग सेल का गठन किया गया है।जिसमें समय समय पर छात्र-छात्राओं को रोजगार व उच्च शिक्षा संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है ।

महाविद्यालयीन शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र .....

1	प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)	30 जुलाई
2	कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	14 अगस्त
3	वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा	विश्वविद्यालय के तहत्
4	पुनर्मुल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा	विश्वविद्यालय के तहत्
5	पूरक परीक्षा का आयोजन	विश्वविद्यालय के तहत्
6	पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा	विश्वविद्यालय के तहत

छात्र गतिविधियाँ :-

1	छात्रसंघ गठन चुनाव प्रक्रिया	विश्वविद्यालय के तहत्
2	छात्रसंघ शपथ ग्रहण	विश्वविद्यालय के तहत्

खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ :-

1	खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रारंभ (इंडोर/आउटडोर)	विश्वविद्यालय के अनुसार
2	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर/आउटडोर)	विश्वविद्यालय के अनुसार
3	महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर/आउटडोर) सांस्कृतिक कार्यक्रम	दिसम्बर

एन.सी.सी./एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियाँ :-

1	वृक्षारोपण कार्यक्रम	21 अगस्त तक
2	कैम्प	नवम्बर
3	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	दिसम्बर
4	दीक्षान्त समारोह	विश्वविद्यालय के अनुसार

विभिन्न अवकाश :-

1	दशहरा	विश्वविद्यालय के अनुसार
2	दीपावली	विश्वविद्यालय के अनुसार
3	शीतकालीन	विश्वविद्यालय के अनुसार
4	ग्रीष्मकालीन	विश्वविद्यालय के अनुसार

वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम :-

1	प्रायोगिक	-	विश्वविद्यालय के तहत्
2	वार्षिक	-	विश्वविद्यालय के तहत्
	अध्यापन कार्य दिवस	-	घोषित अवकाश को छोड़ शेष दिनों में ।

व्याख्यान व अन्य बौध्दिक कार्यक्रम :-

महाविद्यालय में प्रत्येक शनिवार को बौद्धिक कार्यक्रम के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

प्रत्येक शिक्षक को महाविद्यालय में 07 घंटा रहना होगा ।

1	प्रात:कालीन पाली	-	प्रात: 08:00 से 2:30 तक अपरान्ह
2	द्वितीय पाली	-	प्रात: 10:30 से 5:30 तक अपरान्ह

अपरान्ह के अलावा दिये गये अन्य कार्यों को पूरा करना होगा । कोर्स पूर्ण न होने की स्थिति में अतिरिक्त कक्षा लेनी होगी । महाविद्यालय में सम्पन्न होने वाली गतिविधियों में उपस्थित रहना होगा ।

नियमित विद्यार्थी के रुप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :-

1 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ।

2 महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले छात्रों को उपस्थित माना जावेगा ।

3 प्रारंभिक उपस्थिति की गणना दो बार की जायेगी । उपस्थिति की जानकारी नोटिस बोर्ड से प्राप्त होगी ।

4 कम उपस्थिति वाले छात्रों से विश्वविद्यालय अतिरिक्त शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है ।

5 महाविद्यालय कैलेण्डर में दर्शायी गई तिथियों के अलावा अन्य किसी भी समय नृत्य-गीत के कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जायेंगे ।

(8) वार्षिक स्नेह सम्मेलन

विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेण्डर के अनुसार 31 दिसंबर के पूर्व आयोजित किया जाता है ।

24. अनुशासन नियम व आचरण संबंधी निर्देश :-

1. छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय परिसर एवं परिसर से बाहर का आचरण एवं व्यवहार महाविद्यालय की प्रतिष्ठा के अनुरूप रहे और स्वत: प्रेरणा से अनुशासित रहें ताकि दंड की आवश्यकता ही न पड़े ।
2. महाविद्यालय के नाम पर बाहर से चंदा लेना या विज्ञापन लेना पूर्णत: प्रतिबंधित है ।इस नियम के उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी ।
3. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता मानते हुए उन पर कठोर कार्यवाही की जावेगी ।
4. हिंसक, आतंक, धार्मिक उन्माद, अनैतिक गतिविधियों से छात्र-छात्राएँ दूर रहें । यदि ऐसे आरोप प्रमाणित हुए तो.उन्हें तत्काल महाविद्यालय से निकाल दिया जायेगा ।
5. महाविद्यालयीन संपत्ति, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा व स्वच्छता में प्रत्येक अध्येता रूचि लेगा। महाविद्यालय की दीवारों पर लिखना, पोस्टर चिपकाना वर्जित है ।
6. **विद्यार्थियों को प्रतिदिन परिचय पत्र लाना अनिवार्य है ।** परिचय पत्र के अभाव में महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है ।परिचय पत्र खो जाने पर उचित शुल्क देकर पुन: परिचय पत्र प्राप्त करना होगा ।
7. प्रत्येक छात्र-छात्राएँ अपने सहपाठियों, शिक्षकों व कर्मचारियों से नम्रता का व्यवहार करेगा और कभी भी अश्लील अशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा ।
8. छात्रों को यदि कोई कठिनाई हो तो गुरुजन अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से और शांतिपूर्वक ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा ।
9. छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे सक्रिय दलगत राजनीति से दूर रहें ।
10. परीक्षाओं में या उनके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने में या अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।
11. छात्रों को अपने महाविद्यालय की प्रतिष्ठा व गरिमा में सतत् वृद्धि हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए ।

12. अनुशासनहीनता, लगातार अनुपस्थिति, शुल्कों का नियमित जमा न किया जाना, असंतोषजनक आचरण, रैगिंग आदि के कारण प्राचार्य किसी भी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर सकते हैं ।
13. अध्येताओं को अध्ययन हेतु निर्धारित समय पर महाविद्यालय में उपस्थित होना और कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य है ।
14. विद्यार्थी खाली कालखंडों में अन्य अध्ययनरत् कक्षाओं में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे ।
15. यह पुस्तिका महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों के प्रतिबिंबन को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करती हैं, अत: समाहित बिंदुओं से किसी विद्यार्थी की अनभिज्ञता अक्षम्य होगी।
16. महाविद्यालय परिसर में **मोबाईल पूर्णत: प्रतिबंधित है**।

25. विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान :-

मध्यप्रदेश (छ.ग.) के विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गए अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचार किये जाने पर ऐसे छात्र-छात्राओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रावधान है :-

1. निलंबन 2. निष्कासन 3. रेस्टिकेशन 4. विश्वविद्यालयीन परिक्षाओं में सम्मिलित होने से रोकना ।

महाविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र / छात्राएँ

इस महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान अर्जित कर महाविद्यालय एवं अंचल को गौरवान्वित किया है।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से प्रावीण्य सूची प्राप्त छात्र/छात्राओं के नाम

क्र.	नाम	विषय	वर्ष	स्थान
1.	कु. योषिता शर्मा	एम.एस-सी. कम्प्यूटर	2011-12	तृतीय
2.	कु. पल्लवी कोचर	----,,----	2011-12	दशम
3.	कु. योगेश्वरी साहू	बी.ए.	2011-12	दशम
4.	सोमनाथ निषाद	बी.एस-सी.	2012-13	द्वितीय
5.	कु. पूर्णिमा साहू	एम.एस-सी कम्प्यूटर	2015-16	द्वितीय
6.	कु. पूजा सिन्हा	एम.ए.हिन्दी	2016-17	षष्ठम

महाविद्यालय में आयोजित रक्त-दान शिविर

महाविद्यालय में आयोजित एन.सी.सी. दिवस कार्यक्रम

महाविद्यालय प्रशासन और परिवार

कुलपति

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

– डॉ. केशरीलाल वर्मा

1. शासी निकाय :-

1.	श्री मनमोहन अग्रवाल (अध्यक्ष)	5.	श्री विनोद छल्लानी
2.	डॉ. शोभा गावरी (प्राचार्य सचिव)	6.	वि.वि. द्वारा नामित दो सदस्य
3.	श्री रमेश पहाड़िया	7.	श्री ए.के. सोनपुरी
4.	श्री बसंत झाबक	8.	डॉ. मनोज मिश्रा

महाविद्यालय प्रशासनिक, संकाय एवं विभागाध्यक्ष परिवार :-

1	प्राचार्य	डॉ. (श्रीमती) शोभा गावरी	94791-36402
2	प्रशासक	डॉ. पी. बी. हरिहरनो	98262-33535
3	संचालक	श्रीमती भावना अग्रवाल	99263-33553
4.	उप-प्राचार्य	डॉ. मनोज मिश्रा	98266-49035

संकाय प्रमुख

1	कला संकाय	डॉ. मनोज मिश्रा	98266-49035
2	वाणिज्य संकाय	डॉ. आर. के. रजक	98261-60784
3	विज्ञान संकाय	प्रो. ए. के. सोनपुरी	99770-30201

स्नातकोत्तर विभाग

1	विभागाध्यक्ष (बायोटेक)	डॉ. (श्रीमती) शोभा गावरी	94791-36402
2	विभागाध्यक्ष (कम्प्यूटर)	डॉ. डी. चाफेकर	99937-49254
3	विभागाध्यक्ष (वाणिज्य)	डॉ. आर. के. रजक	98261-60784
4	विभागाध्यक्ष (भूगोल)	डॉ. राजेश्वर वर्मा	99261-40654
5	विभागाध्यक्ष (शिक्षा)	प्रो. देवाशीष महापात्र	98278-87979
6	विभागाध्यक्ष (हिन्दी)	डॉ. राजेश श्रीवास	98271-96498
7	विभागाध्यक्ष (रसायन)	डॉ. एस.पी.जगन्नाथ	79870-20016
8	विभागाध्यक्ष (समाज शास्त्र)	डॉ. सी.एल.साहू	93033-88721
9	विभागाध्यक्ष (राजनीति शास्त्र)	डॉ. डी.पी. निर्मलकर	94060-87552

अन्य विभाग

1	IQAC	डॉ. अजय कुमार शर्मा	98272-43844
2	क्रीड़ा	श्री शिवकुमार पांडे	98271-78422
3	ग्रंथालय	श्री छम्मनलाल वर्मा	99932-55433
4	राष्ट्रीय सेवा योजना	डॉ. आर.के. रजक	88717-35039
5	एन.सी.सी. (आर्मी)	प्रो. विजय सिंह राजपूत	83191-53290
6	एन.सी.सी. (नेवल)	डॉ. पूनम सिंह	79876-23312
7	महिला छात्रावास	प्रो. नेहा जैन	99939-70119

अंत में छात्र छात्राओं से

विश्व के शिक्षाविदों, प्राध्यापकों एवं बुद्धिजीवियों की यह धारणा हमेशा रही है कि कला, वाणिज्य, विज्ञान में किसी भी संकाय की शिक्षा को उदार विधा में स्नातक स्तर पर परम्परागत रूप से विश्वविद्यालय के पूर्ण नियंत्रण में अध्ययन-अध्यापन का होना आवश्यक होता है। कारण तो इसके अनेक है, परन्तु एक कारण यह भी है कि स्नातक स्तर में विद्यार्थियों की अवस्था संक्रांति की होती है, किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करने की वय:संधि की। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरी जिंदगी बनना, बिगड़ना या सुधरता इसी अवस्था पर निर्भर करता है, इसलिए उस पर नियंत्रण न रखा जाए तो उसकी स्वतंत्रता, स्वाधीनता व स्वच्छंदता उदण्डता में परिवर्तित हो जाती है और वे उच्छृंखल हो जाते हैं, अनुशासनहीनता पनपती तथा विघटन उत्पन्न होता है जो कि स्वयं, घर-परिवार एवं समाज तथा राष्ट्र के लिए हानिकारक होता है। अत: नियंत्रण आवश्यक तो है, साथ ही साथ अनिवार्य भी ।

किसी भवन की चिरस्थिरता और दृढ़ता जिस प्रकार अपने आधारशीला पर निर्भर करता है तथा लघु पादपों का विशाल वृक्षत्व अपने बाल्यावस्था के निरंतर सिंचाई और संरक्षण पर आश्रित होताहै ठीक उसी प्रकार अनुशासन भी छात्रों के भावी संसार का आधार तैयार करता है।

हम विश्वास करते हैं कि संस्थापकों की त्याग भावना, जनता की शुभेच्छाओं, आयोग की उदार नीति, शासन की सम्पोषण नीति, विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन अपने अनुभवी प्राध्यापकों के अथक परिश्रम व कर्मचारियों के सहयोग और सबसे बढ़कर अपने छात्र-छात्राओं के अनुशासनबद्ध संस्कार एवं सहकार के निर्माण के लिए हम एक नये मार्ग पर एक नई दिशा की ओर अपनी मंजिल के लिए अनवरत कदम बढ़ाएंगे... बढ़ाते रहेंगे।

कोशिश कर हल निकलेगा,

आज नहीं तो, कल निकलेगा।

अर्जुन के तीर सा निशाना साध,

जमीन से भी जल निकलेगा।

मेहनत कर, पौधों को पानी दें,

बंजर जमीन से भी फल निकलेगा।

ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे,

फौलाद का भी बल निकलेगा।

जिन्दा रख, दिल में उम्मीदों कों,

समन्दर से भी गंगाजल निकलेगा।

कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की,

जो है आज थमा-थमा सा, वो चल निकलेगा।।

प्राचार्य

सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय

नवापारा- (राजिम), रायपुर (छ.ग.)

चित्रोत्पला शिक्षण समिति

नवापारा नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

पिन-493881

Reg. No. 1811

पदाधिकारी गण

अध्यक्ष	–	श्री मनमोहन अग्रवाल	233304, 98266-33304
			फैक्स : 07701-233304
उपाध्यक्ष	–	श्री रमेश पहाड़िया	233621, 98266-35621
सचिव	–	श्री विनोद छल्लानी	233634, 88899-92222
उपसचिव	–	डॉ. राजेन्द्र गदिया	233610, 88899-25551
कोषाध्यक्ष	–	श्री स्वरूपचंद टाटिया	233651, 99261-28800

सदस्य गण

श्री बसंत झाबक	–	9977030044,233332
श्री भागचंद बंगानी	–	233831,98266-33821
श्री अशोक गंगवाल	–	233316, 98264-54848
श्रीमती ढ़ेलाबाई जैन	–	233663
श्री यश अग्रवाल	–	9826233553
श्रीमती भावना अग्रवाल	–	9926333553

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची

1. पासपोर्ट आकार का तीन छायाचित्र (एक आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर चस्पा करें तथा दूसरी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें) तथा फोटो के पीछे अपना नाम लिखें ।

2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्य प्रतिलिपि ।

3. हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी कक्षाओं की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि ।

4. चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रतिलिपि (अमहाविद्यालयीन छात्र दो गणमान्य नागरिकों से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें ।)

5. अप्रवास (Migration) प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्य प्रतिलिपि (दूसरे वि.वि. / बोर्ड से आने वाले छात्र – छात्राओं के लिये ।

6. पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि ।

7. एन.एस.एस. / क्रीड़ा / एन.सी.सी./साहित्यिक /सांस्कृतिक सामाजिक क्रियाकलाप का प्रमाण पत्र ।

8. पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आदि के छात्र–छात्राओं के माता–पिता / अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र ।

9. छ.ग. शासन द्वारा जारी प्रवेश आवेदन नियम की अंतिम एवं मान्य होंगे ।

(नोट : प्रवेश के समय उक्त प्रपत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं)

महाविद्यालय में संचालित बायोटेक प्रयोगशाला

महाविद्यालय में संचालित ई-लाईब्रेरी

महाविद्यालय प्रांगण में संचालित कैंटिन

महाविद्यालयीन ग्रंथालय

महाविद्यालय स्टाफ

महाविद्यालयीन स्टाफ

श्री आशुतोष राणा एवं श्री राजपाल यादव का महाविद्यालय में अभिनंदन करते हुए में संस्था के अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल एवं न.पा.अध्यक्ष विजय गोयल

सी. जी. कास्ट द्वारा प्रायोजित गणित दिवस में अवलोकन करते हुए डायरेक्टर जनरल

संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों का स्वर्ण पदक से सम्मान

उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा महा. में टेबलेट वितरण 2015

NAAC PEER TEAM
द्वारा महाविद्यालय को रिपोर्ट सौपते हुऐ

वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुगूंज में उल्लास की विभिन्न छटाएँ बिखेरते विद्यार्थी

महाविद्यालय प्रांगण में अतर्महाविद्यालय
तीरंदाजी प्रतियोगिता

महाविद्यालय में संचालित नवनिर्मित
महिला छात्रावास

वातानुकूलित कम्प्यूटर प्रयोगशाला

वातानुकूलित सभागार

15 अगस्त में ध्वजारोहण समारोह

सैय्यद् फाजिल द्वारा व्यक्तित्व विकास पर टिप्स

महाविद्यालय में संचालित रसायनशास्त्र प्रयोगशाला

बी. एड. विद्यार्थियों द्वारा योगाभ्यास

नेवल विंग एवं एन.सी.सी. आर्मी द्वारा परेड करते छात्र-छात्राऐं

एन. एस. एस. इकाई द्वारा जन - जागरण